



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1035]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939

No. 1035]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSA 8, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1593(अ).**— कतिपय श्रम विधियों के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1333(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 27 अक्टूबर, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का 21) के अध्याय III के साथ पठित:-

- (i) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970(1970 का 37) की धारा 35;
- (ii) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979(1979 का 30) की धारा 35;
- (iii) भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार(नियोजन और सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996(1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कतिपय श्रम विधियों के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 में,-

(क) नियम 2 में, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इस आदेश में विनिर्दिष्ट कोई प्ररूप, उपरोक्त अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनार्थ श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करने की अपेक्षा कर सकती है।”;

(ख) अनुसूची में प्ररूप XII के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

### [प्ररूप XIII]

[ठेका श्रम(विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 17(1); भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन और सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 23(1); अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 के नियम 3(1) के अधीन]

**ठेका श्रम/प्रवासी कर्मकारों/भवन कामगारों को नियोजित करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन स्थापन का ब्यौरा**

- स्थापन का नाम और अवस्थिति
- स्थापन का डाक पता
- स्थायी खाता संख्या(पेन)/माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन)/श्रमिक पहचान संख्या(एलआईएन)
- प्रधान नियोक्ता/नियोक्ता\* का पूरा नाम और पता
- स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
- स्थापन में किए जा रहे कार्य/भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य\* की प्रकृति।
- स्थापन में किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों/भवन कामगारों\* की अधिकतम संख्या।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य\* के आरंभ की प्राक्कलित तारीख।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य\* की समाप्ति की प्राक्कलित तारीख।

### ठेकेदारों\*\* का ब्यौरा

क्र. सं.	नाम और पता	पीएन/जीएसटीआईएन /एलआईएन संख्या	मोबाइल सं.	ई-मेल आईडी	कार्य की प्रकृति	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या	कार्य के आरंभ की अनुमानित तारीख	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तारीख
----------	------------	--------------------------------	------------	------------	------------------	---	---------------------------------	------------------------------------

10. रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम:

प्रधान नियोक्ता/नियोक्ता\* के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

\*\*प्रधान नियोक्ता द्वारा भरा जाए।

**प्ररूपXIV-**  
**एकीकृत वार्षिक विवरणी**

[ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 82(1); भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा-शर्त विनियमन) केंद्रीय नियम 1998 के नियम 242; तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) केंद्रीय नियम, 1980 के अधीन]

**क्रम संख्या- क: साधारण भाग:**

(क) स्थापन का  
नाम.....

स्थापन का पता: गृह सं./फ्लैट सं.....गली/प्लॉट

सं.....

उपनगर.....जिला.....राज्य.....पिनकोड.....

.....

(ख) नियोजक का

नाम.....

नियोजक का

पता.....

गृह सं./फ्लैट सं.....गली/प्लॉट सं.....

उपनगर.....जिला.....राज्य.....पिनकोड.....

ईमेल आईडी.....टेलीफोन

सं.....मो.सं.....

(ग) स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का नाम

.....

पता.....

गृह सं./फ्लैट सं.....गली/प्लॉट सं.....

उपनगर.....जिला.....राज्य.....पिनकोड.....

ईमेल आईडी.....टेलीफोन

सं.....मो.सं.....

**क्रम संख्या II नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन नियोजक का रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति**

**संख्या:**

क्रम सं.	नाम	रजिस्ट्रीकरण	यदि हां, रजिस्ट्रीकरण सं.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा-शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 (1962 का 27)		
2.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन)		

	अधिनियम, 1970 (1970 का 37)			
3.	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)			
4.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)			
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)			
6.	खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35)			
7.	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)			
8.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)			
9.	दुकान और स्थापन अधिनियम (सम्बन्धित अधिनियम)			
10.	तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि			

**क्र. सं. III प्रधान नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रमिक के ब्यौरे**

1.	ठेकेदार के स्थापन के मामले में प्रधान नियोजक का नाम	
2.	स्थापन के प्रारंभ होने की तारीख	
3.	वर्ष के दौरान स्थापन में लगे हुए ठेकेदारों की संख्या	
4.	वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिनको ठेका श्रम नियोजित किया गया था	
5.	वर्ष के दौरान ठेका श्रम द्वारा किए गए कार्य के श्रम दिवसों की कुल संख्या	
6.	प्रबंधक अभिकर्ता (खानों के मामले में) का नाम	
7.	पता: गृह सं./फ्लैट सं..... गली/प्लॉट सं..... उपनगर..... जिला..... राज्य..... पिनकोड..... ईमेल आईडी..... टेलीफोन सं..... मो.सं.....	

**क्र. सं. IV कार्य दिवस और सप्ताह दिवस:**

1.	वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या	
2.	वर्ष के दौरान कार्य किए श्रमों- दिवसों की संख्या	
3.	कार्य के दैनिक घण्टे	

4.	विश्राम का साप्ताहिक दिवस	
----	---------------------------	--

क्र.सं. V वर्ष के दौरान किसी दिन में नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:

क्र.सं.	पुरुष	स्त्री	किशोर (14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)	बालक (14 वर्ष की आयु से कम)	योग

क्र.सं. VI मजदूरी दर (प्रवर्गवार):

प्रवर्ग	मजदूरी की दर	कर्मकारों की संख्या								
		नियमित				ठेका				
		पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर	पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर	
अति कुशल										
कुशल										
अर्ध कुशल										
अकुशल										

क्र.सं. VII (क) संदायों के ब्यौरे:-

संदत्त सकल मजदूरी		कटौती			संदत्त शुद्ध मजदूरी	
नकद रूप में	वस्तु रूप में	जुर्माना	नुकसान या हानि के लिए कटौती	अन्य	नकद रूप में	वस्तु रूप में

(ख) ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी प्रदान की गई थी:

क्र. सं.	वर्ष के दौरान	कर्मकारों की संख्या	मजदूरी सहित छुट्टी मंजूर की गई

क्र. सं. VIII कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं के ब्यौरे:

क्र.सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं की प्रकृति	कानूनी (परिनियम विनिर्दिष्ट करें)

क्रम सं. IX अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980:

वर्ष के दौरान स्थापन में काम करने वाले ठेकेदारों की संख्या	कार्य या परिचालन की प्रकृति जिसमें अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित किया गया	नियोजित अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या	वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनमें प्रवासी कर्मकारों की नियोजित किया गया था	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों द्वारा काम किए जाने के श्रम-दिवसों की कुल संख्या
1.	2.	3.	4.	5.

सं. X भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन) तथा सेवा-शर्त विनियमन 1996, अधिनियम (तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन और) सेवा-शर्त का विनियमन 1998, केन्द्रीय नियम (:

अ	वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित भवन कामगारों की अधिकतम संख्या		
आ	वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या		
इ	(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के भीतर भवन कामगार अपंग हुए		
	(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या		
	(iii) नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या		
ई	(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई		
	(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या		
	(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या		
उ	(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई		
	(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या		
	(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या		
ऊ	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या		
ऋ	तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्थापन के प्रबंधन, इसकी अवस्थिति, या अन्य किन्हीं विवरणों में परिवर्तन, यदि कोई हो		

### घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने स्थापन पर लागू श्रम विधियों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान..... तारीख..... यहां हस्ताक्षर

करें.....

[ फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू(ए)(i)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पण: कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 अधिसूचना संख्या सा.का.नि.294(अ), तारीख 28 मार्च, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड(i) में प्रकाशित किये गये थे।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2017

**G.S.R. 1593(E).**— Whereas, a draft of certain rules to amend the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017 was published *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 1333(E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 27<sup>th</sup> October, 2017;

And whereas, no objections and suggestions were received from public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by,-

- (a) section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
- (b) section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979); and
- (c) section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), after consultation with the expert committee,

read with Chapter III of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017,-

(a) in rule 2, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Central Government may, by order, require that such Forms specified in the Schedule annexed to these rules and specified in that order shall be filed online on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment for the purposes of the aforesaid enactments and the rules made thereunder.”;

(b) In the Schedule after Form XII, the following Forms shall be inserted, namely:-

**“FORM XIII**

[Under rule 17(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971; rule 23(1) of the Building and Other Construction Workers’ (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998; and rule 3(1) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

**APPLICATION FOR REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS EMPLOYING CONTRACT  
LABOUR OR MIGRANT WORKMEN OR BUILDING WORKERS**

**Details of Establishment**

1. Name and location of the establishment:
2. Postal address of the establishment:
3. Permanent Account Number (PAN)/ Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) /Labour Identification Number (LIN):
4. Full name and address of the Principal Employer/Employer\*:
5. Full name and address of the Manager or person responsible for supervision and control of the establishment:
6. Nature of work or building or the other construction work\* carried on in the establishment:
7. Maximum number of workmen or building workers\* to be employed in the establishment on any day:
8. Estimated date of commencement of building or other construction work\*:
9. Estimated date of completion of building or other construction work\*:

**Details of contractors\*\***

Serial Number	Name and Address	PAN/GSTIN/LIN Number	Mobile Number	e-mail ID	Nature of work	Maximum number of workmen to be employed on any day.	Estimated date of commencement of work	Estimated date of completion of work

10. Amount of registration fee:

Signature of the Principal employer/Employer\*

\* Please strike off whichever is not applicable.

\*\* To be filled in by the Principal Employer.

**FORM-XIV  
UNIFIED ANNUAL RETURN**

[Under rule 82(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971; rule 242 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998; and rule 56 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

**S.No. I. General part:**

(a) Name of the establishment \_\_\_\_\_

Address of the establishment: House no./Flat No. \_\_\_\_\_

Street/ Plot No. \_\_\_\_\_

Town \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_



(b) Name of the employer \_\_\_\_\_

Address of the employer: House no./Flat No. \_\_\_\_\_ Street/ Plot No. \_\_\_\_\_ Town \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_

E-mail ID \_\_\_\_\_ Telephone No. \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of the establishment \_\_\_\_\_

Address: House No./Flat No. \_\_\_\_\_ Street/Plot No. \_\_\_\_\_ Town \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_

E-mail ID \_\_\_\_\_ Telephone No. \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_

**S.No. II Employer's registration and license number under the Acts mentioned in column (2) of the Table below:**

S.No	Name	Registration	If yes (Registration No.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996)		
2.	Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970)		
3.	Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979)		
4.	Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952)		
5.	Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948)		
6.	Mines Act, 1952 (35 of 1952)		
7.	Factories Act, 1948 (63 of 1948)		
8.	Motor Transport Workers Act, 1961 (27 of 1961)		
9.	Shops and Establishments Act (Respective State Act).		
10.	Any other law for the time being in force.		

**S. No. III Details of principal employer, contractor and contract labour:**

1.	Name of the principal employer in the case of a contractor's establishment.	
2.	Date of commencement of the establishment.	
3.	Number of contractors engaged in the establishment during the year.	
4.	Total number of days during the year on which contract labour were employed.	
5.	Total number of man-days worked by contract labour during the year.	
6.	Name of the Manager Agent ( In case of mines).	

7.	<b>Address</b> House No./Flat No. _____ Street/Plot No. _____ Town _____ District _____ State _____ Pin Code _____ E-mail ID _____ Telephone Number _____ Number _____	Mobile
----	---	--------

**S. No. IV Working hours and week day:**

1.	Number of working days during the year.	
2.	Number of man-days worked during the year.	
3.	Daily hours of work.	
4.	Weekly day of rest.	

**S.No. V Maximum number of persons employed in any day during the year:**

Sl. No.	Males	Females	Adolescents (between the age of 14 to 18 years.)	Children (below 14 years of age.)	Total

**S.No. VI Wage rates (Category wise):**

Category	Rates of Wages	Number of workers							
		Regular				Contract			
		Male	Female	Children	Adolescent	Male	Female	Children	Adolescent
Highly Skilled									
Skilled									
Semi-skilled									
Un-skilled									

**S.No.VII (a) Details of payments:**

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

**(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:**

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

**S.No. VIII Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:**

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

**S.No. IX The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979 (30 of 1979) and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980:**

Number of Contractors worked in the establishment during the year	Nature of work or operation in which inter-state migrant workmen were employed	Maximum number of inter-State migrant workmen employed	Total number of days during the year on which migrant workmen were employed	Total number of man-days of inter-State migrant workmen worked
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**No. X Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 (27 of 1996) Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Central Rules, 1998:**

<b>A</b>	Maximum number of building workers employed on any day during the year		
<b>B</b>	The number of accidents that took place during the year		
<b>C</b>	(i) The number of accidents resulting in disablement of building workers for <b>less than 48 hours</b>		
	(ii) The number of building workers involved		
	(iii) The number of man-days lost		
<b>D</b>	(i) The number of accidents resulting in disablement of building workers <b>beyond 48 hours</b> but not resulting in any permanent partial or permanent total disablement		
	(ii) The number of building workers involved		
	(iii) The number of man-days lost on account of such accidents		
<b>E</b>	(i) The number of accidents resulting in permanent partial or total disablement		
	(ii) The number of building workers involved		
	(iii) The number of man-days lost on account of such accidents.		
<b>F</b>	The number of accidents resulting in deaths of building workers and the number of resultant deaths		
<b>G</b>	Change, if any, in the management of the establishment, its location, or any other particulars furnished to the Registering Officer in the application for Registration indicating also the dates		

---

**DECLARATION**

It is to certify that the above information is true and correct, and I also certify that I have complied with all the provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

**PLACE**\_\_\_\_\_ **DATE**\_\_\_\_\_ **SIGN. HERE**\_\_\_\_\_”.

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)(i)]  
RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. & Director-Genl. (Labour Welfare)

**Note:** The Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 294(E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2017.